# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | रजिस्टर्ड नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 16/06/2024 | 2024/51 | 18.04.2024 | 08.01.2025 |

1. बाबूदयाल पुत्र स्व0 श्री बख्तार सिंह,
2. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री बख्तार सिंह जातियान गुर्जर निवासी ग्राम रूंध सीरावास मिलकपुरियों की ढाणी, तह0 व जिला अलवर (राज0)।

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. लल्लू पुत्र श्री बिरजू उर्फ ढण्डिया,
2. टूनिया पुत्र श्री बिरजू उर्फ ढण्डिया,
3. छोटी देवी पत्नी स्व0 धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री गोकुल,
4. ओमवीर पुत्र स्व0 श्री गोकुल,
5. कर्मवीर पुत्र स्व0 श्री गोकुल,
6. सूरज पुत्र स्व0 श्री गोकुल,
7. सावित्री उर्फ छोटी देवी पत्नी गोकुल,
   समस्त जातियान बावरिया निवासीयान सिरावास, सुन्दरवास, बावरिया की ढाणी, तह0 व जिला अलवर राज0।

—असल रेस्पो0/अप्रार्थीगण

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पो0/अप्रार्थी

**अपीलप्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.1963**

उपस्थितः—

01—श्री कमल सिंह रावत —वकील प्रार्थीगण
02—श्री जगदीश सैनी —वकील रेस्पो0/अप्रार्थीगण
02—राजकीय अभिभाषक —वकील तर0 रेस्पो0

## —निर्णय—

वकील प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1963 जिसके द्वारा बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास के सदस्य के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 510 रकबा 0.35, 511 रकबा 0.38, 512 रकबा 0.25, 513 रकबा 0.22, 514 रकबा 0.10, 515 रकबा 0.11, 516 रकबा 0.12, 517 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.46 व 520 रकबा 0.55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में सिवाय चक दर्ज थी। अपीलान्ट के परिवार में अपीलान्ट के चाचा जो कि भारतीय सेना में थे, जो भारत—पाक युद्ध में शहीद हो गये थे। राज्य सरकार द्वारा उनको नियमानुसार भूमि आवंटित की गयी थी। भूमि आवंटन होने के पश्चात् आसपास खाली पडी काफी उबड जमीन को सही करके हमारे परिवार के द्वारा भूमि को काबिल काश्त और उपजाउ बनाया जिसमें हाल खसरा नम्बर 510 रकबा 0.35, 511 रकबा 0.38, 512 रकबा 0.25, 513 रकबा 0.22, 514 रकबा 0.10, 515 रकबा 0.11, 516 रकबा 0.12,

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

517 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.46 व 520 रकबा 0.55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर राजस्थान करीब 15 बीघा भी शामिल है उक्त जमीन पहलें वन विभाग की भूमि थी, जिसे बाद में सामूहिक कृषि को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिवायचक दर्ज किया गया था। उक्त आराजी को सामूहिक कृषि को बढावा देने के उद्देश्य से दिनांक 17.07.1963 को 22 वर्ष की अवधि के लिए बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास को उक्त आराजी आवंटित की गयी थी। सामूहिक कृषि का मतलब होता है कि उस समिति के सदस्य सामूहिक रूप से कृषि कार्य करेगें तथा समस्त भूमि पर जो भी लाभ हानि होगी वह उसके सदस्यों में बराबर–बराबर में बांटा जायेगा, अर्थात् पृथक–पृथक रूप से कोई भी सदस्य काश्तकारी कार्य नहीं करेगा। उक्त बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास का अस्तित्व खत्म हो चुका है, तथा उपरोक्त आराजी का आवंटन दिनांक 17.07.1963 को 22 वर्ष के लिए किया गया, जिस अवधि यानि आवंटन अवधि 16.05.1985 को स्वतः ही समाप्त हो गयी है। नियमानुसार दिनांक 16.08.1985 के बाद राजस्व एवं सक्षम अधिकारी महोदय के द्वारा उक्त बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास का नाम कलमजन किया जाकर सालिम भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाना चाहिये था उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी उक्त समिति का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन नहीं किया गया है। उक्त आराजी बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास के नाम से आवंटित की गयी थी। बाद में उक्त समिति के सदस्यों के द्वारा अतिरिक्त जिला कलैक्टर महोदय, अलवर को प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरण संख्या 702 अतिरिक्त जिला कलैक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक 1238 दिनांक 21.06.2017 के माध्यम से उन्होनें अपना नाम का अंकन करा लिया और अपने आपको गैर–खातेदार भी दर्ज करवा लिया जो कि सरासर नियमों के विपरित है। जबकि इसी क्षेत्र में अभी भी मीणा कृषि सहकारी समिति व कुम्हार कृषि सहकारी समिति को जो जमीन सहकारी समितियों को आंवटित की गयी थी, के अभी भी हाल रिकार्ड में उसी नाम से है।

उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 403 लगायत 520 कुल किता 115 कुल रकबा 76.700 हैक्टेयर जिसमें से हाल खसरा नम्बर 510 रकबा 0.35, 511 रकबा 0.38, 512 रकबा 0.25, 513 रकबा 0.22, 514 रकबा 0.10, 515 रकबा 0.11, 516 रकबा 0.12, 517 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.46 व 520 रकबा 0.55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सीरावास अलवर में है, जोकि बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास अलवर को जो 303 बीघा 10 बिस्वा जमीन आवंटित की गयी थी, उसमें शामिल है। हम अपीलान्ट के परिवार के स्व. श्री मेहरचन्द जोकि भारतीय थल सेना में थे, भारत पाक युद्ध में शहीद हो गये थे। राज्य सरकार द्वारा उनको नियमानुसार भूमि आवंटित की गयी थी। भूमि आवंटन होने के पश्चात् आस पास खाली पडी काफी उबड खाबड जमीन को सही करके हमारे परिवार के लोगों द्वारा भूमि को काबिल काश्त और उपजाउ बनाया जिसमें हाल खसरा नम्बर 510 लगायत 520 रकबा करीब 15 बीघा भी शामिल है, उक्त जमीन पहले वन विभाग की थी बाद में इसे सिवायचक कर दिया। इस प्रकार इस जमीन पर हम अपीलान्ट अपने बुजुर्गों के समय से करीब 50–60 सालों से काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 17.03.1963 को जब उक्त भूमि भी खसरा नम्बर हाल 510 लगायसत 520 रिकार्ड में बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास को आंवटित की तो उस समिति के सदस्यों को इस खसरा नम्बरान पर कब्जा नहीं सम्भलवाया ना ही कोई तितम्बा काटा क्योंकि हम अपीलान्ट के परिवार के लोग काफी पहले से इस आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे थे।

हम अपीलान्ट कानूनी विशेषज्ञ नहीं है, उक्त आवंटन निरस्त कराने हेतु विधिक राय दिनांक 15.03.2024 को दी गयी जिस दिनांक से आवंटन निरस्त कराने की जानकारी सर्वप्रथम हम अपीलान्ट को मिली। इसलिये आवंटन दिनांक 17.06.1963 को निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 17.06.1963 से दिनांक 15.03.2024 तक के समय को कन्डोन किया जावे। वैसे भी उन मामलों में जो प्रथम दृष्टया अवैध है, उसके लिए मियाद की कोई कानूनी सीमा नहीं होती है। क्योंकि कानून अनुसार दिनांक 17.00.1963 को जो आवंटन

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

22 वर्ष के लिए बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास को किया गया उसकी अवधि स्वतः ही दिनांक 16.06.1985 को समाप्त हो गयी उसके बाद शासन सचिवालय जयपुर, जिलाधीश महोदय, अलवर, उपखण्ड अधिकारी अलवर ने भी तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी हल्का आदि को काफी पत्र लिखे कि बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर जमीन को सिवायंचक दर्ज कर दिया जावे मगर उच्चाधिकारियों के निर्देश देने के बावजूद अतिरिक्त जिला कलैक्टर, अलवर से उन्हें गुमराह करते हुए उनके आदेश क्रमांक 1238 दिनांक 21.06.2017 को अपने नाम गैर–खातेदारी दर्ज कराने की आज्ञा पारित करवा ली और उसकी आड में इन्तकाल नम्बर 702 भी गैर–खातेदारी का दर्ज करवा लिया। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट का कृत्य भी अवैध रहा है, जिसके लिए कोई मियाद नियत नहीं है।

रैस्पोडेन्ट ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन) नियम एवं नियम 5 राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास के नाम का अंकन इन अधिनियमों के प्रतिकुल था इन नियमों के विरूद्ध हो जाने के कारण आवंटन स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि उन्होनें वर्ष 2011 में भूमि को हम अपीलान्ट से पैसे लेकर ट्रांसफर होंना स्वीकार है। कि रैस्पोडेन्ट व उनके परिवार का कभी भी उक्त आराजी खसरा नम्बर 510 लगायत 520 पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही उन्होनें कभी काश्त की व गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है, इसलिये उनका आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडैन्ट द्वारा हाल राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का गैर खातेदारी का इन्द्राज होने के कारण दीगर लोगों को बेचान करना चाहते है क्योंकि उनका तो कब्जा नहीं रहा और बदमाश गुण्डा किस्म के लोगों से लाखों रूपया लेकर विवादित आराजी को बेचान करने की जुस्तजूं में है और दीगर लोगों को बेचार कर हमें गुण्डे बदमाश लोगों से पिटवाना चाहते है, शान्ति भंग करना चाहते है।

अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। अपील अन्दर मियाद पेश है, मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से मय शपथपत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आराजी खसरा नम्बरान 510 रकबा 0.35, 511 रकबा 0.38, 512 रकबा 0.25, 513 रकबा 0.22, 514 रकबा 0.10, 515 रकबा 0.11, 516 रकबा 0.12, 517 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.46 व 520 रकबा 0.55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर राजस्थान बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास के सदस्य चन्दू पुत्र गोपी के नाम से दर्ज है उसका नाम कलमजन किया जावे उसके हिस्से को अलग से दर्ज करवाकर सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे एवं अपीलान्ट का विधि मान्य कब्जा मानते हुए अपीलान्ट के पक्ष में इस समस्त आराजी को आवंटन किये जाने या कब्जे को नियमित करने की आज्ञा सादिर फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि अपीलांण्ट/प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के न तो रिकार्डेड खातेदार हैं और ना ही सहकाश्तकार हैं और ना ही बावरिया कृषि सहकारी समिति के सदस्य हैं। विवादित आरजी से अपी0 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए अपी0 अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है और अपी0 को वर्तमान अपील दायर करने का अधिकार नहीं होने के कारण अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थी उक्त आराजी पर 2011 से या 50 वर्ष, कब से काबिज हैं, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि मौके पर 1963 से एवं आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा है। वकील अप्रार्थी द्वारा Section 14 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 नजीर पेश की। वकील रेस्पो0/अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त अपील अपीलार्थी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के तहत खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

**न्याया0 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर**
अपील संख्या 16/06/2024, निर्णय दिनांक 08.01.2025
**बबूदयाल वगै0 बनाम लल्लू वगै0**

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपी0 द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.1963 के विरूद्व दिनांक 12.04.2024 को पेश की गयी है जो 60 वर्ष 08 माह 26 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि 1959 में 22 वर्ष के लिए भूमि काश्त हेतु दी गई थी, तत्पश्चात इस भूमि को सन 1985 में सिवायचक दर्ज किया जाना था, किन्तु इसका उल्लंघन करते हुए रेस्पो0 द्वारा कब्जा बरकरार रखा गया। इसके साथ ही अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पो0 का कभी भी मौके पर भूमि पर कब्जा नहीं रहा। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1963 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 17.07.1963 इस हद तक निरस्त किया जाता है कि रेस्पो0 का नाम जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा नम्बरान 510 रकबा 0.35, 511 रकबा 0.38, 512 रकबा 0.25, 513 रकबा 0.22, 514 रकबा 0.10, 515 रकबा 0.11, 516 रकबा 0.12, 517 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.14, 519 रकबा 0.46 व 520 रकबा 0.55 कुल किता 11 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर राजस्थान बावरिया कृषि सहकारी समिति सीरावास के सदस्य चन्दू पुत्र गोपी के नाम से दर्ज है, का नाम कलमजन किया जावे तथा उसके हिस्से को सिवायचक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

**निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(मुकेश कुमार कायथवाल)**
**अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)**
**अलवर, (राज0)**

संशोधित आदेश दिनांक :– 23.01.2025

नोट :– निर्णय दिनांक 08.01.2025 में दिनांक 16.05.1985 व 16.08.1985 अंकित है, के स्थान पर दिनांक 16.07.1985 एवं दिनांक 17.03.1963, दि० 17.06.1963 व दि० 17.00.1963 है, के स्थान पर 17.07.1963 पढ़ा जावे।
शेष यथावत रहे।

अति० जिला कलक्टर (प्र०)
अलवर (राज०)